न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–अनूपपुर

अपील- 0278/2019/ अनूपपुर/भू.रा.

1– संजू पुत्र श्री गजाधर पनिका
2– मंजू उर्फ अंजू पुत्र श्री गजाधर पनिका
निवासीगण–ग्राम लखौरा तहसील पुष्पराजगढ़ जिला – अनूपपुर (म.प्र.)

...... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1 अमोली दास पुत्र श्री रूपदास पनिका
2 रामनाथ पुत्र श्री आशा राम पनिका
3 ज्ञानदास पुत्र श्री आशाराम पनिका
4 मुरारीलाल पुत्र श्री आशाराम पनिका
5 गुलाबदास पुत्र श्री रूपदास पनिका
6 शिवकुमार पुत्र श्री अमोलीदास
निवासीगण – ग्राम लखौरा तहसील पुष्पराजगढ़ जिला – अनूपपुर मंदसौर (म.प्र.)
7 शिवकुमार पुत्र श्री मिठाईलाल पनिका
निवासी – गुराम गांव तहसील व जिला – डिण्डोरी म.प्र.
8 मिठाईलाल पुत्र श्री पन्ड़ाराम पनिका
निवासी – ग्राम बरटोला लखौरा तहसील पुष्पराजगढ़ जिला – अनूपपुर म.प्र.
9 देवकी बाई पति नन्दलाल पनिका
निवासी – चन्दूआन टोला करंजिया तहसील व जिला डिण्डोरी म.प्र.

...... प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि० 18.2.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-3-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/पुर्नविलोकन/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, अपीलार्थीगण संजू एवं मंजू पनिका द्वारा ग्राम लखौरा स्थित आराजी खसरा नं. 144/1 रकवा 0.81 एकड़, खसरा नं. 148 रकवा 0.47 एकड़, 690/1 ख रकवा 1.00 एकड़, खसरा नं. 690/2 रकवा 4.90 एकड़ एवं खसरा नं. 401/766/2क रकवा 2.33 एकड़ भूमियो को वापस किये जाने का आवेदन पत्र संहिता की धारा 170 ख के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था। कि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-278/2019/अनूपपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/05/2019	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह अपील अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्यत: तर्क धारा 44(4) पर केन्द्रित है, जिसके अनुसार "पुर्नविलोकन में किसी आदेश में फेर-फार करते हुए या उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में मूल आदेश अपीलनीय होता है। चूंकि यह अपील आवेदन दिनांक 18.02.2019 को पारित किया गया है। अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधान लागू होंगे। अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश द्वितीय अपील में पारित किया है तथा उक्त् संशोधन अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात द्वितीय अपील के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील अथवा निगरानी का कोई प्रावधान नहीं रह गया है। मैं आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि पुर्नविलोकन में पारित किया गया आदेश प्रथम न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा। धारा - 44(4) के प्रावधानों का स्पष्ट आशय यह है कि पुर्नविलोकन में पारित आदेश ही मूल आदेश होगा। पुर्नविलोकन के पूर्व पारित आदेश को कहीं चुनौती नहीं दी जावेगी। द्वितीय अपील में पारित आदेश को प्रथम न्यायालय का आदेश मानकर उसकी अपील राजस्व मण्डल में ग्राह्य किया जाना न्याय अनुकूल नहीं है। अतएव द्वितीय अपीलनीय अधिकारी के रूप में पुर्नविलोकन में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों के विपरीत होने से अमान्य की जाती है। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	